न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस,

राजस्व अपील संख्या 358/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
गुमान सिंह पुत्र अचल सिंह राजपूत निवासी– ग्राम हापा, तहसील बालेसर जिला जोधपुर जरिये सेकेट्री ग्रामों उत्थान शिक्षा समिति, बालेसर।		राजस्थान सरकार जरिये तहीसलदार बालेसर, जिला जोधपुर ग्रामीण

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश जो उपखंड अधिकारी बालेसर के द्वारा राजस्व प्रकरण 172 में दिनांक 26.05.2023 में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री प्रतापसिंह राठौड, घेवरराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.सं.एक की ओर से।

निर्णय

दिनांक 15 अप्रेल, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक व प्रधानाचार्य, राज0 उ0 मा0 विध्यालय, बालेसर सता के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 में उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रधानाचार्य, पटवारी हल्का, भू0अ0निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बालेसर सता के ख0सं0 30/1, 32, 33, 34 व 35 की रकबा भूमि जो ग्रामों उत्थान हाईस्कूल बालेसर के नाम थी, को राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय, बालेसर के नाम की शुद्धि की जावें। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, बालेसर ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त खसरान भूमि के दर्ज प्रविष्ठी ग्रामो उत्थान शिक्षा समिति, हाई स्कूल बालेसर के स्थान पर राजकीय हाई स्कूल ग्राम बालेसर सता की रेकर्ड शुद्धि किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.5.2023 को पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 22.08.2023 को न्यायालय के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पत्र में यह कथन किया कि अपीलान्टस दिनांक 26.5.23 को हल्का पटवारी से अपने ख्रातेदारी की नकले लेने गया तब उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.5.2023 को प्रथम बार जानकारी हुई तब अपीलान्ट ने उसी दिन नकले प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उसे दिनांक 14.8.23 को नकले प्राप्त हुई तब अपीलान्ट ने अपने कमेटी सदस्यों से तथा अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह अपील न्यायालय के समक्ष पेश की गई है अतः उक्त विलम्ब को सद्भाविक होना मानते हुए अपील को अन्दर मियाद मानते हुए गुणावगुण पर निर्णित की जावें। रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में प्रकट किये गये तथ्यों के आधार पर न्यायहित में अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए लिखित बहस में यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक की ओर से धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निस्तारण करने से पूर्व उल्लेखित ग्रामो उत्थान शिक्षा समिति को सुनवाई का तथा अपना पक्ष रखने का नोटिस दिये ही बिना ही अपीलाधीन आदेश के जरिये उनका नाम विलोपित करने के आदेश पारित कर दिये जो न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश राजस्वरेकर्ड, तथ्यों के विरूद्ध होने व कानूनी दृष्टि से प्रतिकूल होने निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि ग्राम बालेसर सता के ख0सं0 30/1, 32, 33, 34 व 35 की रकबा भूमि जो ग्रामों उत्थान हाईस्कूल बालेसर के नाम थी, तथा उक्त जमीन जागीरदारों से खरीद की गई थी, उस पर हाईस्कूल का किसी भी प्रकार का हक व अधिकार नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने नियमों के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। उक्त प्रकरण में पटवारी व भू0अ0निरीक्षक ने रिपोर्ट बनाकर पेश की है, उसकी सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई और गलत रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी, उस मौका फर्द पर अपीलान्ट को सुना जाना आवश्यक था क्योंकि उक्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट से ही जागीरी भूमि थी जिसे बोर्डिग हाउस के मकान बनाने के लिये दी गई थी और भूमि पर अपीलान्ट समिति का कब्जा रहा है, जिस पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को पक्षकार ही नहीं बनाया गया जबकि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में ग्रामो उत्थान

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

समिति के नाम से दर्ज थी जिस पर अन्य किसी का कोई हक–अधिकार नहीं थी, पटवारी हल्का व भू0अ0निरीक्षक व तहसीलदार ने गलत तथ्यों को अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया जो निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार शेरगढ के द्वारा दिनांक 03.10.1972 को एक आदेश समिति के पक्ष में किया गया था जिसे आज दिन तक किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती/एतराज पेश नहीं की गई है। इसके बाद तहसीलदार बालेसर ने उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष तहसीलदार शेरगढ के द्वारा पारित दिनांक 03.10.1972 को चुनौती दी गई जिसे उपखण्ड अधिकारी बालेसर के द्वारा उक्त प्रकरण अपील व रिवीजन का होने से धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 26.05.2015 को खारिज कर दिया गया था। जिसकी कभी भी अपील या रिवीजन आदि उच्चतर न्यायालय में पेश नहीं की गई तथा तहसीलदार शेरगढ के आदेश 3.10.1972 के सम्बन्ध में भी कोई उज्र एतराज नहीं किया गया। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पूर्व में पारित आदेश दिनांक 26.05.2015 का भी हवाला भी अपीलाधीन आदेश में नहीं दिया गया तथा नये प्रार्थना पत्र लेकर अपीलान्ट को बिना सुनवाई व नोटिस के गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उल्लेखित खसरान भूमि उनकी खातेदारी की भूमि है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायालय के द्वारा पहले से कोई इस बाबत फैसला किया गया है तो उसे नये प्रार्थना पत्र अनुसार दुबारा निर्णय नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह विधि विपरित है, धारा 11 सीपीसी के तहत अगर विवादित भूमि व एकसमान पक्षकारों के बीच में न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है तो दुबारा वही न्यायालय उस प्रकरण में नये सिरे से सुनवाई नहीं कर सकता क्योंकि Res Judicta का सिद्धान्त लागू होता है, इस आधार पर भी अपील स्वीकार करने और अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर ऐसा कोई रेकर्ड नहीं लिया है जिससे यह भूमि राजकीय भूमि हाईस्कूल की भूमि रही हो जबकि अपीलान्ट ने सभी तथ्य व रेकर्ड न्यायालय में पेश किये है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को [redacted] निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार बालेसर के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व रेकर्ड शुद्धि किये जाने बाबत जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया उसे स्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। अतः जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक व प्रधानाचार्य, राज0 उ0 मा0 विध्यालय, बालेसर सता के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 में उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रधानाचार्य, पटवारी हल्का, भू0अ0निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बालेसर सता के ख0सं0 30/1, 32, 33, 34 व 35 की रकबा भूमि जो ग्रामों उत्थान हाईस्कूल बालेसर के नाम थी, को राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय, बालेसर के नाम की शुद्धि की जावें। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, बालेसर ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त खसरान भूमि के दर्ज प्रविष्ठी ग्रामो उत्थान शिक्षा समिति, हाई स्कूल बालेसर के स्थान पर राजकीय हाई स्कूल ग्राम बालेसर सता की रेकर्ड शुद्धि किये जाने का दिनांक 26.5.2023 को अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार शेरगढ के द्वारा दिनांक 03.10.1972 को एक आदेश ग्रामो उत्थान शिक्षा समिति के पक्ष में किया जाना दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकट होता है जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में उक्त नाम से प्रविष्टि की गई जिसे आज दिन तक किसी के द्वारा किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती/एतराज पेश नहीं की गई है ऐसें तहसीलदार शेरगढ का वह आदेश वर्तमान में प्रभावी है। वर्ष 2015 में तहसीलदार बालेसर ने पुनः उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष तहसीलदार शेरगढ के उक्त आदेश के विरूद्ध धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत चुनौती पेश की गई जिसे उपखण्ड अधिकारी बालेसर के द्वारा उक्त प्रकरण अपील व रिवीजन का होने से धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 26.05.2015 के द्वारा खारिज कर दिया गया जिसकी भी अपील या रिवीजन आदि उच्चतर न्यायालय में पेश किया जाना तथा तहसीलदार के आदेश 3.10.1972 के सम्बन्ध में भी कोई उज्र एतराज नहीं किया जाना पाया गया है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

इसके अतिरिक्त न्याय शास्त्र (Judis prudence) का सिद्धान्त है कि कोई भी न्यायालय स्वयं के मामले का न्यायाधीश नहीं हो सकता है क्योंकि अपीलाधीन प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/2023/60 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा अपीलान्ट यानि ग्रामो उत्थान शिक्षा समिति, बालेसर को बालेसर में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने के लिये ग्रामो उत्थान शिक्षा समिति हाईस्कूल के नाम दर्ज 13.00 बीघा यानि 2.1044 हैक्टर भूमि को दान किये जाने का निवेदन किया गया है। ऐसे में प्रकरण में स्वयं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर एक पक्षकार है तो उन्हें वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में इस प्रकार का अपीलाधीन आदेश पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।

इसके अतिरिक्त भूमि के स्वामित्व का प्रश्न निर्धारण हेतु राजस्व न्यायालय के समक्ष पेश होता हो तो उसमें धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती और न ही किसी पक्षकार के पक्ष में दर्ज इन्द्राज को हटाया जा सकता है और न दर्ज किया जा सकता है, उक्त धारा के तहत केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जा सकते है, वह केवल और केवल राजस्व वाद के जरिये ही निर्धारित की जा सकती है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य नहीं हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में उल्लेखित खसरान भूमि के दर्ज खातेदारी के अधिकारों को समाप्त करते हुए अन्य के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है जो उनके द्वारा मनमाने ढंग से (Arbitrary) तथा अपने क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) से बाहर जाकर पारित किया गया है। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2023 को निरस्त किया जाता है एवं उल्लेखित भूमि के राजस्व रेकर्ड की अपीलाधीन आदेश से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है। निर्णय आज दिनांक अप्रेल, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

15.04.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर